कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2019–20 दिनांकः– 4/11/19

निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,
समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त डाईट प्राचार्य
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त विशिष्ट संस्थायें
पंजियक कार्यालय

विषयः– 2019–20 के लिये हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प021(7) शिक्षा–2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2019–20 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के वेतन विपत्र माह दिसम्बर,2019 देय जनवरी, 2020 पूर्व निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना है, वेतन से कटौती बाबत दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.10.2019 द्वारा जरिये मेल प्रेषित किये जा चुके है, अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त कार्मिकों के वेतन से कटौती की जानी सुनिश्चित करें।

<u>राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक अंशदान की दरें :–</u>

01 समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) रूपये 500/– प्रतिवर्ष
02 समस्त अराजपत्रित कार्मिक (अध्यापक एवं सहायक कर्मचारी सहित) रूपये 250/– प्रतिवर्ष

<u>हितकारी निधि कल्याणकारी योजनायें :–</u>

इस कल्याणकारी योजनान्तर्गत प्राप्त अंशदान राशि में से 2018–19 से नियमित अंशदाता को ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।

01	सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता।	1,50,000/–
02	शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 200 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता।	10,000/–
03	शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रित के असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अधिकतम सहायता।	20,000/–
04	एक मुश्त छात्रवृति योजनान्र्तगत शिक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 70 प्रतिशत् या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृति। (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित X^{th} के 950 एवं 50 विशिष्ट उपाध्याय,संस्कृत के छात्र/छात्राओं को)	11,000/–
05	बालिका उपहार योजनान्र्तगत (सेवाकाल में एक बार) पुत्री के विवाह पर, प्रति वर्ष 500 प्रकरणों में।	11,000/–
06	मंत्रालयिक एवं च0श्रे0कर्म0 को भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता।	12,000/–

07	(1)खेलकूद प्रतियोगिताओं में शिक्षाकर्मी के पुत्र/पुत्री के राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर।	10,000/–
	(2)खेलकूद प्रतियोगिताओं में शिक्षाकर्मी के पुत्र/पुत्री के राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर।	5,000/–
08	बालिका शिक्षा हेतु ऋण।	50,000/–

हितकारी निधि की सफलता के लिये आपके अधिनस्थ कार्यालयो/विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि मय आपके निर्देशों के भिजवावें, ताकि सफल परिणाम प्राप्त हो सकें। अंशदान की कटौती होने के पश्चात् निर्देशानुसार ECS Cash Book एवं कटौती शिड्यूल की प्रति अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवायी जानी है, कटौती शिड्यूल में कार्मिक के I.D. संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें, क्योंकि यही I.D. कार्मिक का खाता संख्या है, तद्नानुसार खातों में प्रविष्टीयाँ की जावेंगी।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी, हितकारी निधि अंशदान माह दिसम्बर, 2019 देय वेतन जनवरी, 2020 का निर्देशानुसार वेतन से कटौती कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
एवं अध्यक्ष हितकारी निधि राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा0/हिनि/28203/2019–20 दिनांकः– 4/11/19

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभाग अधिकारी, रोकड़ शाखा, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, कार्यालय हाजा।
2. सम्पादक, शिविरा पत्रिका, बीकानेर को प्रकाशनार्थ।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है की विभागीय वेब–साईट एवं शाला दर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड़ करने बाबत।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा0/हि0नि0/28519/2019 दिनांकः– 4/11/19

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प021(7) शिक्षा–2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नवीन योजनाओं का शुभारम्भ एवं पूर्व में चल रही योजनाओं में सहायता राशि में बढ़ोतरी के आदेश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैः–

बालिका उपहार योजनाः–

हितकारी निधि नियम 13 (घ)(1) अनुसार शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को पुत्री के विवाह पर 11,000/– रूपये (सेवाकाल में एक बार) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 प्रकरणों में यह लाभ प्रदान किया जा सकेगा। योजना विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

एक मुश्त छात्रवृति योजना :–

हितकारी निधि नियम 13 (ड़) अनुसार इस योजनान्तर्गत सभी श्रेणी के शिक्षाकर्मियों के पुत्र या पुत्री जिन्होंने राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोजित कक्षा X^{th} की परीक्षा में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें 11,000/– रूपये एकमुश्त छात्रवृति के रूप में प्रदान किये जावेगें। यह लाभ 950 सैकेण्डरी के छात्र/छात्राएँ एवं 50 छात्र/छात्राएँ वरिष्ठ उपाध्याय (संस्कृत शिक्षा) को देय होगा, यह योजना सत्र 2019–20 के परीक्षा परिणाम पर देय होगी।

व्यावसायिक शिक्षा :–

हितकारी निधि नियम 13 (ग) के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा में पूर्व से लागू 5000 एवं 10,000 दो दरों के स्थान पर अब समान रूप से एक दर 10,000/– रूपये की सहायता राशि देय होगी।

चिकित्सा व्यय :–

हितकारी निधि नियम 03 (घ) के अनुसार वर्तमान में गंभीर प्रकृति की बीमारियों/असाध्य रोग, लम्बे समय तक चिकित्सालय में भर्ती रहने वाले शिक्षा विभाग के कार्मिक या उनके आश्रित को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पुनर्भरण के पश्चात् शेष रही राशि देय होगी जिसकी अधिकतम सीमा 20,000/– रूपये होगी।

मंत्रालयिक एवं च0श्रे0कर्म0 वर्ग को भारत भ्रमण सुविधा :–

हितकारी निधि नियम 03 (छ) के अनुसार शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी/च0श्रे0कर्म0 एवं अन्य कार्मिकों पति–पत्नि सहित (अध्यापक वर्ग को छोड़कर, उन्हे यह सुविधा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से पूर्व से ही दी जा रही है।) जो राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो, उन्हे 14 दिवस का स्वयं का अवकाश स्वीकृति उपरान्त भारत भ्रमण हेतु अधिकतम 12,000/– रूपये सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी, जिसमें यात्रा एवं भोजन व्यय शामिल होगा। यह योजना सत्र 2019–20 से लागू होगी।

खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार :–

हितकारी निधि नियम 3 (छ) अनुसार शिक्षा विभाग के कार्मिकों के बच्चे जिन्हें राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ हो, उन्हें 5,000/– रूपये एवं

राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर 11,000/– रूपये की राशि प्रदान की जावेगी। यह योजना सत्र 2019–20 से लागू होगी।

उपरोक्त समस्त योजनाओं के लिये अलग–अलग आवेदन पत्र/विज्ञप्ति विभाग की वेब–साईट एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे जावेगें, तदनुसार निश्चित प्रक्रिया उपरान्त सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी।

उपरोक्त समस्त योजनाओं का लाभ 2018–19 से जो हितकारी निधि के नियमित अंशदाता है, उन्हें प्रदान किया जावेगा।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
एवं अध्यक्ष हितकारी निधि राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा0/हि0नि0/28519/2019 दिनांकः– 4/11/19

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करावें:–

1. समस्त संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा ।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
4. समस्त डाईट प्राचार्य।
5. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. शिविरा अनुभाग प्रकाशनार्थ।
8. समस्त विशिष्ट संस्थायें।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी (कार्यालय हाजा) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
10. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख हैं कि विभागीय वेब–साईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करावें।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर